BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, SITTING AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. **350 of 2024**

IN THE MATTER OF

Amit Kumar & Anr. ……Applicants

VERSUS

Union of India & Ors. ……Respondents

INDEX IN ADDITIONAL SUBMISSIONS ON BEHALF OF THE APPLICANTS

S. No.	Particulars	Page No.
1.	Index in Additional submissions on behalf of the applicants	1
2.	Additional submissions on behalf of the applicants	2
3.	Annexure A-1 (Colly): News articles showing the persistent problem of encroachment, illegal mining and stone crushers in the riverbed of Kasawati River along with the same situation of Raipur Patan Dam	3-4

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, SITTING AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. **350 of 2024**

IN THE MATTER OF

Amit Kumar & Anr. ……Applicants

VERSUS

Union of India & Ors. ……Respondents

NDOH: 12.07.2024

ADDITIONAL SUBMISSION ON BEHALF OF THE APPLICANTS

1. That the Applicants in the present Original Application (OA) are law-abiding citizens of India working towards river revivals and other environmental protection and conservation-related issues.
2. That the present OA is pending consideration before this Hon'ble Tribunal. Vide Order dated 08.04.2024, the Hon'ble Tribunal directed the issuance of notice to the respondents and listed the matter for further consideration on 12.07.2024, granting liberty to the applicants to make submissions.
3. That, in light of the order dated 08.04.2024, the Original Applicants seek the leave of this Hon'ble Tribunal to file these additional written submissions to bring out the falsities and misrepresentations made by the learned counsel of the State of Rajasthan before this Hon'ble Tribunal. These submissions are in addition to the facts/grounds taken in the written submission already submitted in the Original Application, and the contents of the same are not repeated herein for brevity and to avoid repetition.
4. That the learned counsel appearing for the State of Rajasthan submitted during the course of the hearing on 08.04.2024 that action has been taken against the encroachers on the river/riverbed.
5. That the applicants are now making this submission to show that no such action has been taken against the encroachers on the river/riverbed as claimed by the learned counsel appearing for the State of Rajasthan.
6. That the recent news articles have reported the ongoing problem of illegal encroachment and illegal mining in the riverbed of the Kasawati River as well as the Raipur Patan Dam **[Annexure A-1 (colly)]**.
7. That the problem persists, and the Kasawati River is on the verge of extinction. Hence, timely action from the respondents is necessary to save and revive the Kasawati River.

Amit Kumar & Kailash Meena

10th July 2024. New Delhi

Annexure A-1 (Colly)

कासावती नदी का अस्तित्व खतरे में, नक्शे से हो सकती है लुप्त

स्मार्ट हलचल । प्रमोद सैनी धांधेला

पाटन। नीमकाथाना जिले के लोगों को यमुना का पानी चाहिए, क्योंकि क्षेत्र में जल का स्तर बहुत नीचे चला गया है, जिस कारण किसानों का भविष्य भी खतरे में पड़ गया वहीं क्षेत्र के लोगों के लिए पीने के पानी के भी लाले पड़ गए हैं। इसको लेकर किसान संघर्ष समिति नीमकाथाना द्वारा जिला कलेक्टर के सामने धरना लगाकर प्रशासन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन देने में लगे हुए हैं ताकि नीमकाथाना के लोगों को यमुना का पानी मिल सके, परंतु अभी तक किसानों की समस्या की तरफकिसी भी अधिकारी ने एवं सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है, जिस कारण किसान संघर्ष समिति के लोग धरने पर बैठे हुए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश मीणा भराला जो विगत तीन दशकों से भी अधिक समय से जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि क्षेत्र की प्रसिद्ध एवं प्राचीन कासावती नदी जो बरसात के समय नीमोद के पहाड़ों से निकलकर हरियाणा के पटौदी के खेतों में जाकर फैलती थी वह आज कहां चली गई ? आज कासावती नदी का अस्तित्व खतरे में आ गया है, और लोगों को यमुना

का पानी चाहिए, यह सोचने का विषय है ? कासावती नदी में लोगों ने कब्जा कर लिया, कहीं बजरी खनन कर गहरे गड्ढे को दिए तो कहीं क्रेशर प्लांट लगा दिए ऐसे में बरसात का पानी नदी में कैसे पहुंचेगा ? यही नहीं बजरी खनन के दौरान माफियाओं द्वारा बजरी फिल्टर प्लांट लगाकर पानी का दोहन किया गया जिस कारण नदी एवं आसपास के क्षेत्र का जलस्तर काफी नीचे चला गया, जिसके चलते लोगों को पीने के पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। मीणा ने यह भी बताया कि जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण को बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ने के बाद भी प्रशासन ने कोई ठोस का दम नहीं उठाया, अपितु प्रशासन द्वारा कासावती नदी के बहाव क्षेत्र के पास दर्जन भर क्रेशर प्लांट की स्वीकृति प्रदान कर लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है। जिस कारण आज कासावती नदी का स्वरूप ही बिगड़ गया है।

जिस कासावती नदी के पानी से सैकड़ो गांव के किसान फसल पैदा किया करते थे आज वही कासावती नदी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आंसू बहा रही है। स्थानीय नेताओं ने भी इस नदी की तरफकोई ध्यान नहीं दिया, आज जब पानी की समस्या पैदा हुई है तो अब इनको यमुना के पानी की याद आने लगी है। कासावती नदी पर जिले का सबसे बड़ा बांध रायपुर-- पाटन बांध बनाया गया था जिससे स्थानीय किसानों को बांध का पानी मिल सके, एवं क्षेत्र का जलस्तर बढ़ता रहे, परंतु निमोद- महवा गांव की सीमा जीर की घाटी में दर्जनों क्रेशर प्लांट नियम विरुद्ध लगा दिए गए जिस कारण दिन प्रतिदिन नदी का स्वरूप ही बिगड़ा हुआ चला गया। 27 जनवरी 2011 को नदी में अतिक्रमण कर मार्ग अवरुद्ध करने के विरुद्ध तत्कालीन तहसीलदार ने पटवारी हल्का व गिरदावर की रिपोर्ट पर राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91/ 6 में कार्यवाही भी की गई थी व पुलिस में मुकदमा भी दर्ज करवाया गया था परंतु स्थानीय प्रशासन की मिली भगत से लगातार नदी में क्रेशर प्लांट का निर्माण कर नदी को बंद कर दिया गया। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के निर्णय और राजस्थान सरकार के नियमों के विरुद्ध है। स्थानीय निवासियों द्वारा वर्षों से लगातार प्रयास के बाद भी प्रभावशाली क्रेशर मालिकों की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, अगर प्रभावशाली कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले समय में कासावती नदी नीमकाथाना के नक्शे से गायब हो जाएगी।

Smart Halchal, Jaipur, 03.03.2024 - News article mentioning the lost existence of Kasawati River and its impact on the region along with a photo showing the dust from the crusher units operating the riverbed.

दैनिक भास्कर

नीमकाथाना भास्कर 07-05-2024

जीर की घाटी क्रेशर जोन व माइनिंग क्षेत्र में अवैध खनन पर प्रशासन ने की कार्रवाई, खनन माफिया की ओर से बनाया गया रास्ता बंद कराया

क्रेशर जोन तक रास्ता बनाने के लिए नाले व वन भूमि को खदानों के कचरे से भरा, दो डंपर जब्त, तीन लाख रुपए का जुर्माना वसूला

भास्कर न्यूज | नीमकाथाना

जीर की घाटी क्रेशर व माइनिंग जोन में अवैध खनन गतिविधियों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो डंपर जब्त कर तीन लाख रुपए जुर्माना वसूला है। वहीं वन क्षेत्र से होकर निकाले गए रास्ते को जेसीबी की मदद से बंद कराया गया है। खनन कारोबार से जुड़े लोगों ने क्रेशरों का मलबा डालकर बरसाती नाले, एनीकट व वन भूमि को भर दिया। जमीन को समतल कर फॉरेस्ट से होकर क्रेशर जोन के लिए अलग से रास्ता निकाला जा रहा था। शिकायत हुई तो एसडीएम राजवीर सिंह यादव पांच विभागों के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे।

एसडीएम ने बरसाती नाले, एनीकट व वन भूमि में क्रेशरों का कचरा डालते हुए दो डंपरों को जब्त किया। वन भूमि से अवैध रास्ता बनाने के लिए जमा की गई बजरी व रोड़ी को जब्त कर वन अधिकारियों के सुपुर्द किया गया। तहसीलदार महेश ओला ने बताया कि नदी, एनीकट व वन भूमि को क्रेशरों के कचरे से भरने के मामले में जांच के लिए उपखंड अधिकारी राजवीर सिंह यादव के साथ मौके पर गए थे। टीम में सिंचाई, माइनिंग, वन, रेवन्यू, जल ग्रहण विभागों के अधिकारी भी थे। खनन कारोबारियों द्वारा एनीकट व बरसाती नाले को पूरी तरह पाट दिया गया। वन भूमि में क्रेशरों का कचरा डालकर रास्ता बनाया जा रहा था। मौके पर मिले सामान को जब्त कर वन अधिकारियों के सुपुर्द किया गया है। मामले में क्रेशर व माइनिंग कारोबारियों को भी बरसाती नाले, एनीकट व वन भूमि को नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए पाबंद किया गया है। एसडीएम राजवीर सिंह यादव ने वन अधिकारियों को भूमि की सुरक्षा करने व गैर वानिकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं।

शिकायत पर मामले की जांच के लिए एसडीएम राजवीर सिंह यादव के साथ मौके पर गए थे। दो डंपर जब्त कर वन अधिकारियों को सौंपे थे। मामले में जल संसाधन विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

***महेश ओला,** तहसीलदार, नीमकाथाना*

-दो डंपरों से तीन लाख रुपए जुर्माना वसूला गया है। वन भूमि से निकाले गए रास्ते को जेसीबी मशीन से खाई बनाकर बंद कराया गया है। वन भूमि को संरक्षित कर मौके पर बोर्ड लगाया गया है।

***रविन्द्र सिंह भाटी,** फॉरेस्टर, नीमकाथाना।*

दो माह पहले सिंचाई विभाग को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन नहीं हटाया

जीर की घाटी क्रेशर व माइनिंग जोन बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व एरिया से होकर निकलने वाली कासावती नदी के बहाव क्षेत्र में है। संपर्क पोर्टल पर हुई शिकायत की जांच पर तथ्यात्मक रिपोर्ट में तहसीलदार ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हालात ऐसे हो गए कि खनन कारोबारियों ने एनीकट, बरसाती नाले व वन भूमि को भी माइनिंग कचरे से पाट दिया। जांच में कई चौंकाने वाले हालात मिले।

वन क्षेत्र से निकाले गए रास्ते में खुदवाए गड्ढे : फॉरेस्टर रविन्द्र सिंह भाटी ने बताया कि जीर की घाटी क्रेशर व माइनिंग जोन में जांच के लिए पहुंचे एसडीएम ने दो डंपर जब्त कर सुपुर्द किए थे। जिस जगह खदानों का कचरा डालकर भरा जा रहा था, वह भूमि वन विभाग की है। पहले इस भूमि का डिमार्केशन नहीं होने से स्थिति साफ नहीं थी। गैर वानिकी गतिविधियों में डंपरों को जब्त कर तीन लाख रुपए जुर्माना वसूला गया है। वहीं मौके पर निकाले गए रास्ते में जेसीबी मशीन की मदद से गड्ढे खुदवाए गए हैं।

नीमकाथाना. वन क्षेत्र से निकाले गए रास्ते को जेसीबी से बंद किया गया व वन क्षेत्र में बोर्ड लगाया।

मौका व रिकॉर्ड की जांच करने पर अधिकारियों को ये मिला

- नीमोद, खड़गबीजपुर व भराला के राजस्व रिकॉर्ड में कासावती नदी दर्ज नहीं है। ग्राम भराला के रिकॉर्ड में गैरमुमकिन नाला दर्ज है। जिस पर औद्योगिक अपशिष्ट डालकर, दीवार लगाकर बहाव रोकने के लिए धारा 90 में प्रकरण दर्ज किया गया है।
- मौके पर नीमोद, खडगबीजपुर व भराला होते हुए रायपुर बांध तक जाने वाला बरसाती नाले का बहाव क्षेत्र पाया गया। जल संसाधन विभाग के जेईएन ने भी इसे बहाव क्षेत्र बताया है। बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा नोडल विभाग जल संसाधन विभाग को बनाया हुआ है। इस पर जेईएन को कार्रवाई के निर्देश दिए।
- मौके पर बहाव क्षेत्र के पास कृषि भूमि में औद्योगिक अपशिष्ट डालकर बहाव क्षेत्र को रोका गया है। डस्ट प्लांट लगाकर, टीनशैड लगाकर गैर कृषि उपयोग पाया गया। निरीक्षण के दौरान खातेदार ने मौके से हटा लिया। धारा 90 के तहत कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
- बरसाती नाले व बहाव क्षेत्र में अन्य अवरोध को हटाने के लिए जल संसाधन विभाग के जेईएन को पाबंद किया गया है।

Dainik Bhaskar, Neem Ka Thana, 07.05.2024 - News article reporting the encroachment on the riverbed by the illegal mining and stone crusher units.

बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण होने से कासावती नदी एवं रायपुर बांध में नहीं पहुंचा बरसात का पानी

दो-तीन अच्छी बारिश होने के बावजूद भी नहीं पहुंच रहा पानी

पाटन, (निसं)। क्षेत्र में मानसून ने दस्तक दे दी है तथा इस मानसून सत्र की दो-तीन बरसात बहुत ही अच्छी हो चुकी हैं। लगभग 100 एम एम के आसपास बरसात हो चुकी है उसके बावजूद भी बरसात का पानी कासावती नदी एवं रायपुर बांध में नहीं पहुंच पा रहा है। इसको लेकर किसानों के मन में चिंता के भाव बने हुए है, क्योंकि इस क्षेत्र के अधिकांश किसान जमीन एवं पशुपालन पर निर्भर हैं। क्षेत्र का जलस्तर दिन प्रतिदिन गहरा होता हुआ जा रहा है, ऐसे में किसानों की पैदावार एवं किसानों के पशुओं पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं।

इस बारे में सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश मीणा भराला ने बताया कि कासावती नदी का निकास निमोद, खादरा से है जो जीर की चौकी ,भराला, रायपुर मोड होते हुए रायपुर बांध में जा रही है यही नदी आगे जाकर पटौदी के डहरों में फैल जाती है। इस मानसून की दो भारी बरसात हो चुकी हैं परंतु बरसात का पानी का कासावती नदी में नहीं पहुंचा, इसका मुख्य कारण कासावती नदी के बहाव क्षेत्र में नियम विरुद्ध खनन और बहाव क्षेत्र व केचमेंट एरिया के पास लगे स्टोन क्रैशरों से नदी में आने वाला पानी पूर्ण रूप से डाइवर्ट हो गया है, जिसके चलते इलाके में जल संकट बना रहता है।

कासावती नदी के बहाव क्षेत्र में नियम विरुद्ध खनन से नदी में आने वाला पानी पूर्ण रूप से डाइवर्ट हो गया है।

क्षेत्र के लोगों की आजीविका भी खेती और पशुपालन पर निर्भर है, परंतु दो बार हुई बारिश का पानी कासावती नदी में नहीं आने से किसान वर्ग को भी चिंता सताने लगी है। क्योंकि क्षेत्र के हर किसान की निगाहें आज रायपुर बांध पर टिकी हुई है, रायपुर बांध में बरसात का पानी आता है तो क्षेत्र का जल स्तर बढ़ता है अगर बांध में पानी नहीं आया तो किसानों का भविष्य चौपट के कगार पर है।

नदी में किए गए अतिक्रमण को लेकर कैलाश मीणा ने पूर्व में भी जिला कलेक्टर सीकर, उपखंड अधिकारी नीमकाथाना, तहसीलदार नीमकाथाना एवं प्रदेश के मुखिया वजीर ए आलम को भी शिकायतों के माध्यम से अवगत करवाया गया था, उसके बावजूद भी कासावती नदी में किए गए अतिक्रमण को नहीं हटाया गया। जिसके चलते आज काफी वर्षों से रायपुर बांध में पानी नहीं आ रहा है और इसी कारण से क्षेत्र का जलस्तर दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है। अब तो हालत ऐसे हो गये हैं कि पीने के पानी का भी संकट बन गया है। समय रहते अगर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो रायपुर बांध जो नीमकाथाना और सीकर जिले का सबसे बडा बांध है वह पानी के अभाव में दम तोड देगा। ऐसी ही स्थितियां क्षेत्र के अनेक छोटे तालाबों का है जहां बरसात का पानी पहुंच ही नहीं रहा है पानी वाले रास्तों पर लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर मकान बना लिए हैं जिस कारण पाटन के जोहडे में भी पानी नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि पानी के रास्तों को लोगों ने अवरूद्ध कर दिया है ऐसे में पानी तालाब में पहुंच ही नहीं रहा है। प्रशासन ने समय रहते अगर कार्यवाही नहीं की तो क्षेत्र के हालत बद से बदतर हो जाएंगे।

■ किसानों के मन में चिंता के भाव बने हुए हैं

Rashtradoot, Churu, 08.07.2024 - News article reporting the impact of illegal encroachment on the riverbed of Kasawati river and the lack of water in Raipur Patan Dam.

कासावती नदी और रायपुर बांध के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण, किसान चिंतित

न्यूज सर्विस/नवज्योति, पाटन। क्षेत्र में मानसून ने दस्तक दे दी है तथा दो-तीन बरसात बहुत ही अच्छी हो चुकी हैं। इसके बावजूद भी बरसात का पानी कासावती नदी एवं रायपुर बांध में नहीं पहुंच पा रहा है। इसको लेकर किसानों के मन में चिंता के भाव बने हुए हैं, क्योंकि इस क्षेत्र के अधिकांश किसान जमीन एवं पशुपालन पर निर्भर हैं। क्षेत्र का जलस्तर दिन प्रतिदिन गहरा होता हुआ जा रहा है, ऐसे में किसानों की पैदावार एवं किसानों के पशुओं पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं।

इस बारे में सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश मीणा भराला ने बताया कि कासावती नदी का निकास निमोद, खादरा से है जो जीर की चौकी, भराला, रायपुर मोड होते हुए रायपुर बांध में जा रही है यही नदी आगे जाकर पटौदी के डहरों में फैल जाती है। इस मानसून की दो बरसात भारी हो चुकी है लेकिन बरसात का पानी का कासावती नदी में नहीं पहुंचा, इसका मुख्य कारण कासावती नदी के बहाव क्षेत्र में नियम विरुद्ध खनन और बहाव क्षेत्र व केचमेंट एरिया के पास लगे स्टोन क्रैशरों से नदी में आने वाला पानी पूर्ण रूप से डाइवर्ट हो गया है, जिसके चलते इलाके में जल संकट बना रहता है। क्षेत्र के हर किसान की निगाहें रायपुर बांध पर टिकी हुई है, रायपुर बांध में बरसात का पानी आता है तो क्षेत्र का जल स्तर बढ़ता है अगर बांध में पानी नहीं आया तो किसानों का भविष्य चौपट के कगार पर है।

पानी के अभाव में दम तोड़ देगा बांध

नदी में किए गए अतिक्रमण को लेकर कैलाश मीणा ने पूर्व में भी जिला कलेक्टर सीकर ,उपखंड अधिकारी नीमकाथाना, तहसीलदार नीमकाथाना एवं प्रदेश के मुखिया को भी शिकायतों के माध्यम से अवगत करवाया गया था, उसके बावजूद भी कासावती नदी में किए गए अतिक्रमण को नहीं हटाया गया। जिसके चलते आज काफी वर्षों से रायपुर बांध में पानी नहीं आ रहा है और इसी कारण से क्षेत्र का जलस्तर दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है।

अब तो हालत ऐसे हो गये हैं कि पीने के पानी का भी संकट बन गया है। समय रहते अगर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो रायपुर बांध जो नीमकाथाना और सीकर जिले का सबसे बड़ा बांध है वह पानी के अभाव में दम तोड़ देगा।

ऐसी ही स्थितियां क्षेत्र के अनेक छोटे तालाबों का है जहां बरसात का पानी पहुंच ही नहीं रहा है पानी वाले रास्तों पर लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर मकान बना लिए हैं जिस कारण पाटन के जोहडे में भी पानी नहीं पहुंच रहा है।

Dainik Navjyoti, Jaipur, 08.07.2024 - News article reporting the illegal encroachment on the riverbed of Kasawati river and its impact on the livelihood of the farmers in the region.